अध्याय - 16

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण

16.1 कोल इंडिया लि.

16.1.1 आरक्षण नीति

राष्ट्रपति के निदेश के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

	सीधी भर्ती :			पदोन्नति :		
समूह क और ख पदों के लिए	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	समूह क ख, ग एवं घ के लिए	अ.जा.	अ.ज.जा.
खुले आ/ाार पर प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा अखिल भारती; आधार (लिखित)	15	7.5	27	अखिल भारत	15	7.5
लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित न करके अन्यथा अखिल भारतीय आधार पर	16.7	7.5	शेष 50 तक सीमित			

उपर्युक्त के अलावा, समूह ग और घ के पदों में भर्ती में आरक्षण संबंधी निदेश है, जहां राज्यवार आरक्षण के मानदंड का पालन किया जा रहा है। सहायक कंपनी–वार/राज्यवार आरक्षण का प्रतिशत निम्नवत है:

राज्य	कंपनी	अ.जा. का प्रतिशत	अ.ज.जा. का प्रतिशत	अ.पि.वर्ग का प्रतिशत
झारखंड	बीसीसीएल	12	26	12
झारखंड	सीसीएल	12	26	12
झारखंड	सीएमपीडीआईएल	12	26	12
पं.बंगाल	ईसीएल	23	5	22
पं.बंगाल	सीआईएल, कोलकाता	23	5	22
उड़ीसा	एमसीएल	16	22	12
मध्य प्रदेश	एनसीएल	15	20	15
छत्तीसगढ़	एसईसीएल	12	32	6
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	10	9	27
असम	एनईसी	7	12	27

16.1.2 सीआईएल में 1.1.2014 की स्थिति के अनुसार समूहवार जनशक्ति तथा प्रतिशतता के साथ अनु. जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित है:

समूह	कुल संख्या	अ.जा. का प्रतिशत	अ.ज.जा. का प्रतिशत	अ.पि.वर्ग का प्रतिशत
क	16367	10.08	3.69	10.91
ख	21538	11.14	6.58	13.96
ग	206916	21.17	12.26	19.05
घ (सफाई ककर्मचारी को छोड़कर)	102032	19.94	14.20	17.56
ङ (सफाई ककर्मचारी)	3335	97.24	1.05	0.49
कुल	350188	20.83	12.01	18.06

16.1.3 कल्याणकारी उपाय (अ.जा. तथा अ.ज.जा.)

कोयला खनन उन क्षेत्रों में रह रहे समुदायों पर गहरा प्रभाव डालता है जहां खानें स्थापित की जाती है। इन क्षेत्रों में किसी औद्योगिक गतिविधियों के आरंभ होने का स्पष्ट प्रभाव मूल निवासियों और स्वदेशी समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली तथा क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक रूपरेखा में परिवर्तन आना है। उपर्युक्त के संदर्भ में कोल इंडिया इसमें विश्वास करती है कि खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोग खान विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्टेकधारक हैं तथा दीर्घकालिक विकास के लिए उन्हें खनन परियोजनाओं के विकास के लाभ का हिस्सा दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट सामाजिक दायित्व के एक भाग के रूप में कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियां अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों के आस–पास विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलाप कर रही हैं।

कोयलाधारी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं आरंभ की गई हैं –

क) पेयजल का प्रावधान, स्कूल भवनों का निर्माण, चेक डैम ग्रामीण सड़कों, लिंक रोड और पुलियों, औषधालयों तथा स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र, बाजार स्थान आदि जैसी सामुदायिक परिसंपत्तियों (अवसंरचना) का सृजन।

ख) जागरूकता कार्यक्रम तथा सामुदायिक कार्यकलाप जैसे स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा सहायता, परिवार कल्याण शिविर, एड्स जागरूकता कार्यक्रम, प्रतिरक्षण शिविर, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधि, पौधारोपण आदि।

16.1.4 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

01.01.2014 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित है:

(अनंतिम)

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या			
	कुल	दृष्टि विकलांग	श्रवण विकलांग	अस्थि विकलांग
ईसीएल	72366	6	16	35
बीसीसीएल	59897	38	18	68
सीसीएल	47129	29	11	48
डब्ल्यूसीएल	53055	41	19	67
एसईसीएल	71677	17	7	91
एमसीएल	22359	21	10	63
एनसीएल	16868	10	2	34
एनईसी	2223	0	0	2
सीएमपीडीआई	3167	1	3	17
डीसीसी	523	0	0	0
सीआई,ल (मुख्या.)	924	1	0	1
कुल सीआईएल	**350188**	**164**	**86**	**426**

वर्ष 1996–97 से समूह ग और घ में नियुक्तियों का ब्यौराः

वर्ष	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	आरक्षण कोटा के तहत भरे गए पदों की संख्या		
		वीएच	एच–एच	ओएच
1996–97 से **01.01.14**	8387	13	8	46

वर्षनियुक्त व्यक्तियों की संख्याआरक्षण कोटा के तहत भरे गए पदों की संख्या वीएचएच–एचओएच

16.2 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

16.2.1 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. ने कारपोरेट एचआर विभाग के रूप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना अनन्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों के सेवा मामलों तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण नीति संबंधी आदेशों के समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया है। यह प्रकोष्ठ उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों की विभिन्न शिकायतों का तेजी से निपटान सुनिश्चित कर रहा है। प्रकोष्ठ के कार्यों में से एक कार्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना तथा उन्हें प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना है। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य उन रक्षोपायों के संबंध में कर्मचारियों को जागरूक बनाना है जिनकी भर्ती, पदोन्नति तथा अन्य सेवा मामलों में भारत सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है तथा आरक्षण नीति संबधी राष्ट्रपति के आदेश का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की आरक्षित श्रेणियों के प्रतिशत से संबंधित ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

समूह		आरक्षण का लागू प्रतिशत		जनशक्ति की स्थिति			उपलब्ध प्रतिशत	
		एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	एससी	एसटी
क		15	7.5	4251	873	269	20.54	6.33
ख		16.66	7.5	75	13	21	17.33	28.00
ग		19	1	11104	2204	109	19.85	0.98
घ	सफाई कर्मचारियों को छोड़कर	19	1	1409	327	9	23.21	0.64
	सफाई कर्मचारी			10	6	0	60.00	0.00
कुल				**16849**	**3423**	**408**	**20.32**	**2.42**

16.2.2 एससी/एसटी के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति उप–योजना

योजना आयोग द्वारा एससीपी के निरूपण, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग पर दिए गए विस्तृत दिशा–निर्देशों और कोयला मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त विभिन्न पत्र व्यवहारों के आधार पर स्कीम बनाने के पश्चात एनएलसी ने वर्ष 2000 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति उप–योजना (पूर्व में विशेष घटक योजना के नाम से विख्यात) को प्रतिपादित तथा कार्यान्वित किया है। कोई

पृथक जनजातीय उप योजना नहीं है क्योंकि अनुसूचित जनजाति की आबादी एनएलसी के परिधीय क्षेत्र में नगण्य है और इसलिए एससीएसपी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

क) एनएलसी के प्रशासनिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क प्रतिवर्ष वर्दी के 2 सेट देना।

ख) कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को दो वर्ष में एक बार निःशुल्क एक सेट जूते देना।

ग) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के 175 छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 12000 रूपए प्रति वर्ष की दर से तथा इंजीनियरिंग एवं अण्डर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा करने वाले छात्रों को 10000 रूपए प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति देना जिसमें प्रति छात्र 3750 रू. का हास्टल शुल्क शामिल है।

घ) उपर्युक्त के अलावा, शैक्षिक वर्ष 2012–13 के लिए एसएसएलसी तथा एचएससी परीक्षा में 90ः और उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर विभिन्न श्रेणी के मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार वितरित किया जाता है।

ङ) शैक्षिक वर्ष 2013–14 के लिए जवाहर विज्ञान कालेज, नेयवेली में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फीस का पुनर्भुगतान।

च) विशेष रूप से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लाभ के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम जैसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। फरवरी, 2014 तक जिन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया उनकी संख्या 2120 है जिसमें 81 प्रतिनियुक्ति प्रशिक्षण पर हैं।

छ) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अधीन तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। फरवरी, 2014 तक लाभान्वित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 266 है।

ज) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के बीच खेलों के विकास तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों सहित युवा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

16.2.3 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

एनएलसी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं/नीति कार्यान्वित कर रहीं है।

एनएलसी नेयवेली स्वास्थ्य संवर्धन एवं समाज कल्याण सोसाइटी (एनएचपीएसडब्ल्यूएस) का संरक्षण कर रही है। यह सोसाइटी समाज के सामाजिक कल्याण कार्यकलापों को पूरा करने के लिए नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से लगातार वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता/मदद प्राप्त करती रही है जो तमिलनाडु के कुड्डालोर, विल्लूपूरम और निकटवर्ती जिलों में विकलांग आबादी को लाभ पंहुचाती है।

16.2.4 पदोन्नति

समूह "घ " के भीतर, समूह "घ " से "ग " तथा समूह "ग " के भीतर पदोन्नति के लिए एनएलसी 100: पदोन्नति की गुंजाइश के साथ समयबद्ध पदोन्नति स्कीम अपना रही है तथा रिक्ति, जिसमें चयन का कोई तत्व नहीं है, से लिंकेज के बिना पदोन्नति समयबद्ध आधारित है।

16.2.5 एड्स से संबंधित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

मां से बच्चे में एचआईवी के संक्रमण के सीधे फैलाव की रोकथाम करने तथा मां में एचआईवी संक्रमण के नुकसान को कम करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से मातृत्व विभाग में जांच और परामर्श केंद्र खोला जा रहा है। यह सेवा आसपास के गांवों से जन्म से पूर्व सेवाओं के लिए अस्पताल में आने वाले सभी लोगों को प्रदान की जा रही हैं।

दूसरा कोई तरीका नही है जिसके द्वारा एचआईवी की जांच की जा सकती है यदि व्यक्ति जिन्हें इसका खतरा है महसूस नहीं करते कि उन्हें जांच हेतु आगे आना चाहिए। नेयवेली पुस्तक मेला तथा सुरक्षा सप्ताह समारोह एचआईवी जांच के लिए आगे आने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करते हैं।

16.3 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

16.3.1 एससी/एसटी/बीसी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व

जहां तक एससीसीएल का संबंध है, 01.01.2014 की स्थिति के अनुसार पंजी में कर्मचारियों की कुल संख्या 62,214 है।

01.01.2014 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल में आरक्षण श्रेणियों में मौजूदा कर्मचारियों को सामाजिक न्याय से संबंधित सूचना निम्नवत है:–

जाति	नामावली में	% शेयर
बीसी	33,865	54.43
एससी	13,666	21.97
एसटी	3,155	5.07
अन्य	11,528	18.53
कुल	**62,214**	**100.00**

16.3.2 निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

यह उल्लेखनीय है कि खान अधिनियम, 1952 तथा खान नियमावली, 1955 में खान में नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए कतिपय न्यूनतम शारीरिक मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और खतरनाक प्रकृति के कार्य के मद्देनजर कोलियरी के चिकित्सा अधिकारी को अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के संदर्भ में मेडिकल फिटनेस अथवा अन्यथा प्रमाणित करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। इसलिए खानों में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को ही नियोजित करने का दायित्व स्वयं खान मालिकों का है।

एससीसीएल में विद्यमान विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर आंध्र प्रदेश सरकार ने सांविधिक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. को, सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद, के दिनांक 30.05.2003 के पत्र सं. 946/पीआर/1(2)/2003–5 तथा सरकार के विशेष मुख्य सचिव, ऊर्जा (पीआरआई) विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद के दिनांक 12.12. 2005 के जी.ओ.आरटी सं./317 के तहत निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी), 1995 (1996 का केंद्रीय अधिनियम सं.1) की धारा 33 के अंतर्गत सीधी भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को आरक्षण कार्यान्वित करने से छूट दे दी है।

16.3.3 विशेष विकास कार्यक्रम

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष 3 दिसम्बर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के अवसर पर एससीसीएल के सभी क्षेत्रों में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

अवसंरचना प्रदान करके तथा मशीनरी की आपूर्ति करके सिंगरेनी सेवा समिति (एसएसएस) द्वारा निम्नलिखित तीन विशेष स्कूलों को सहायता दी जा रही है:

- मनोचैतन्य स्कूल, गोदावरीखानी (मानसिक रूप से मंद के लिए)
- मनोविकास स्कूल, मंदामरी (मानसिक रूप से मंद के लिए)
- साई मनोतेजा डीफ एंड डम्ब स्कूल, मानुगुरू

एससीसीएल में और उसके ईद–गिर्द आदिवासी समुदाय को अवसंरचना और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है:–

1. मनुगुरू में आदिवासी गृह
2. बेल्लामपल्ली में बनवासी कल्याण परिषद
3. कोठागुडम में वनवासी कल्याण परिषद
4. बेल्लामपल्ली क्षेत्र में आर एण्ड आर केंद्र

16.3.4 सीधी भर्ती के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश, 1975

राष्ट्रपति के आदेश, 1975 के अनुसार सीधी भर्ती

के संबंध में एससीसीएल से संबंधित सूचना निम्नवत है:–

- सीधी भर्ती द्वारा प्रवेश स्तर पर गैर–कार्यपालक संवर्ग के लिए प्रथम 20% रिक्तियां खुली श्रेणी (अर्थात स्थानीय और गैर–स्थानीय) से उनकी मेरिट और साम्प्रदायिक रोस्टर के आधार पर भरी जाएगी। शेष 80% रिक्तियों को मेरिट तथा साम्प्रदायिक रोस्टर बिन्दुओं के अनुसार स्थानीय उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।
- सीधी भर्ती द्वारा प्रवेश स्तर पर कार्यपालक संवर्ग पदों के मामले में प्रथम 40% पदों को खुली श्रेणी (स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों) के रूप में संयुक्त मेरिट लिस्ट से भरा जाएगा तथा शेष 60% पदों को मेरिट तथा साम्प्रदायिक रोस्टर बिन्दुओं के अनुसार स्थानीय उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

स्थानीय उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त आरक्षण निम्नलिखित पदों के लिए लागू नहीं होगा:–

(क) चिकित्सा और स्वास्थ्य विधा में कार्यपालक संवर्ग के पद।

(ख) खनन विधा में कार्यपालक संवर्ग के पद।

भर्ती हो जाने के बाद उम्मीदवारों को किसी अन्य जिले/राज्य जहां एससीसीएल को आवश्यकता हो, में स्थानांतरित किया जा सकता है।